

संदर्भ सं.: ए.एस.यू.ए/सम्ब/383/11/2016

दिनांक: 17/11/2016

सेवा में,

गोपनीय

प्रबंधक  
शम्भूनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ  
झलवा, इलाहाबाद, उ.प्र.

विषय: स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत विधि संकाय (पंचवर्षीय) के सहायक आचार्य पद पर अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक:24.08.2016 तथा चयन समिति/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति की संस्तुति के आधार पर स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09 मई 2000 के प्राविधानानुसार मा0 कुलपति जी ने निम्नलिखित अभ्यर्थी के चयन का अनुमोदन उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर प्रदान करने की कृपा की है।

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पदनाम/विषय
1	डॉ. राकेश कुमार शुक्ला	श्री रमा शंकर शुक्ला	सहा.आचार्य-विधि संकाय
2	श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (ओबीसी)	श्री विहारी लाल	सहा.आचार्य-विधि संकाय
3	श्री शम्भू कुमार गुप्ता	श्री राम लोचन प्रसाद गुप्ता	सहा.आचार्य-विधि संकाय
4	श्रीमती रजनी तिवारी	स्व. अखिलेश तिवारी	सहा.आचार्य-विधि संकाय
5	श्री नवीन कुमार सिंह	श्री हरि शंकर सिंह	सहा.आचार्य-विधि संकाय
6	श्री पंकज कुमार	श्री लाल बहादुर	सहा.आचार्य-विधि संकाय
7	श्री राज वत	श्री राम दवर	सहा.आचार्य-विधि संकाय
8	डॉ. अजय प्रताप सिंह	श्री बी.एन.सिंह	प्राचार्य-विधि संकाय

उक्त अनुमोदन अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षिक अभिलेखों एवं नेट/स्टेट अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अर्धान होगा। सहा. आचार्य अनुमोदन हेतु महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं शिक्षक का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सहा. आचार्य के नियुक्ति पत्र, अनुबन्ध पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या सम्बन्धी अभिलेख एवं पैन कार्ड की प्रतियाँ अद्यतन रखनी हों यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(दीप्ति मिश्रा)  
उप कुलसचिव  
Shambhunath Institute  
Jhalwa, Allahabad